न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 82/23-24

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक– 26, दिनांक– 08.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका 1. कमली देवी 2. विमला देवी, पिता– स्व0 उपेन्द्र महतो, साकिम– मोहनपुर, पो0– प्रधानखंता, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– मोहनपुर, मौजा नं0– 22, पुराना खाता सं0– 02, पुराना प्लॉट सं0– 1473, नया खाता सं0– 33, नया प्लॉट सं0– 1849, रकवा– 57.66 डिसमील, भूमि क्रेता सरला देवी, पति– भोला नाथ महतो, साकिम– दोलाबड़, पो0– मोको, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 115.34 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.07.02 16:30:01 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner